पंचायत निगरानी संख्या :318 / 2024

नाम : सवाराम व अन्य बनाम हस्तीमल व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज.अधिनियम,1994

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुयें
23/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय ~~हड़ताल~~/कार्य स्थगन पर हैं। पेशी इलत्वा होकर पत्रावली दिनांक..20/01/25..को पेश हो। रीडर	
20/01/2025	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी सं०-2 उप०। निगरानी में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या-1 की तलबी हेतु जरिये रजिस्टर्ड एडी से नोटीस जारी हो। पत्रावली वास्ते प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं-1 की तलबी हेतु दिनांक 21/02/2025 को पेश हो। अति. जिला कलक्टर बाली (पाली)	
21/02/2025	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 उप०। अप्रार्थी संख्या 01 की मृत्यु की सूचना प्राप्त। प्रार्थीगण को जारी नोटीस की तामीली रिपोर्ट न्यायालय हाजा को प्राप्त नहीं हुए है, लिहाजा इन्तजार हो। पत्रावली वास्ते तलबी प्रार्थीपक्ष आयंदा दिनांक 04/03/2025 को पेश हो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली	
04/03/2025	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 उप.। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। हस्तगत पत्रावली दिनांक 09/04/2024 को न्यायालय हाजा को स्थानान्तरित होने के बाद से ही न तो अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष और न ही स्वयं प्रार्थी ने पैरवी हेतु अपनी उपस्थिति दी है। दरम्यान सुनवाई प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को निगरानी में अंकित पते पर सूचना-पत्र/नोटीस भेजे गए। रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित सम्मन में अप्रार्थी संख्या 01 की मृत्यु की सूचना प्राप्त, जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थीगण संख्या 01 व 02 को जारी नोटीस ऑनलाईन ट्रेक करने पर दिनांक 28/01/2025 को Delivered है। जो शामिल पत्रावली है। प्रार्थीगण अधिवक्ता अथवा स्वय प्रार्थी आज भी अनुपस्थित है। प्रार्थी का यह दायित्व है कि वह अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र की नियमित पैरवी हेतु असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित हो। न्यायालय हाजा के लिये प्रार्थी का नवीन पता ज्ञात करने का अन्य कोई स्त्रोत भी नहीं है। तथा अप्रार्थी संख्या 01 की भी मृत्यु हो चुकी है। P.T.O. अति. जिला कलक्टर बाली (पाली)	

उनवान : सवाराम व अन्य बनाम हस्तीमल व अन्य अन्तर्गत धारा
पंचायती राज.अधिनियम,1994

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	लिहाजा विचाराधीन पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधि. को प्रार्थीपक्ष के पुनः सुनवाई के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए आदेश 09 नियम 08 सी. पी. सी. के तहत अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली